Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, JULY-AUG, 2018, VOL- 6/46

'प्रोबेशन' संस्था के प्रति प्रोबेशनर्स के दृश्टिकोण

[जिला जेल फिरोजाबाद (उ0प्र0) के प्रोबेशनर्स पर आधारित एक अध्ययन]

शिखा सिंह

(शोध छात्रा) समाजशास्त्र, जे0एस0 यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद, जनपद– फिरोजाबाद (उ0प्र0)

Abstract

21वीं सदी को सुधार की भाताब्दी माना जाता है; 'प्रोबे न इसी सुधार युग का परिणाम है। जिसमें मानवतावादी दृश्टिकोण को प्रमुखता देने पर बल दिया गया एवं प्रतिफल स्वरूप दण्ड के 'सुधारात्मक सिद्धान्त' का विकास हुआ। 'प्रोबे न' अंग्रेजी भाब्द है जो लैटिन भाब्द 'प्रोबेयर' से ब्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है: परीक्षा, परीक्षा लेना, परीक्षण करने की विधि, अदालती परीक्षा, दण्ड का विलम्ब, दण्ड का निलम्बन अथवा प्रतिबन्धक रिहाई। जब कोई व्यक्ति (16 वर्श से अधिक तथा 24 वर्श से कम आयु के बालिक अपराधियों, जिन्होंने 'प्रथम' बार अपराध किया हो तथा न्यायालय से अधिकतम 2 वर्श तक की सजा हुई हो; को 'प्रोबे न अधिनियम 1958 के अधीन' प्रोबे न पर रिहा किए जाने का प्रावधान है जिसकी अधिकतम अवधि 3 वर्श तक है) को प्रोबे न ऑफीसर की देखरेख (निगरानी तथा निर्दे न) में 'स र्त' आचरण व व्यवहार के सुधार के लिए जेल से बाहर रखे जाने को 'प्रोबे न' कहते हैं; जिसका प्रयोग पाँच अर्थों में किया जाता है : (1) दण्ड (जेल जाने के कलंक) से बचने का एक उपाय है, (2) यह न्यायालय की प्रथम अपराधी के प्रति एक उदारता है जिसके तहत अपराधी के प्रति सहानुभूति दिखाई जाती है, (3) यह एक प्रकार का दण्ड ही है, (4) पुलिस–निरीक्षण (निगरानी) की एक विधि है, तथा (5) यह एक प्रकार की चिकित्सा/उपचार (इलाज) है जिसमें अपराधी को; सद्व्यवहार करने की भार्तों पर 'आवासादे ।' प्रदान किया जाता है; जिसमें तीन प्रमुख तत्वः (क) अपराधी को दण्ड न दिया जाना, (ख) यदि दण्ड दिया जाता है तो उसे क्रियान्वित न करना, तथा (ग) अपराधी (प्रोबे नर) अगर अपना आचरण ठीक नहीं करता, तो उसे न्यायाधी । द्वारा सुनाया गया दण्ड भुगतना होगा।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

*** As per Global Report (1958:4-7) of United Nations :**

(i) Probation is a method of dealing with offenders, i.e. persons whose guilt has been established, (ii) Probation is a method which is applied on a selective basis (embodying the principle of individualization of treatment & requiring the study of the individual offender, so that treatment will fit the individual; and hence involving discretionary function of the court; (iii) Probation involves the supervision and observation/treatment providing systematic assistance & guidance in living society without conflict wit the law; ((iv) Probation involves the conditional suspension of punishment, which is not to be construed as a 'let-off', since the offender is liable to punishment throughout the probation period.

-United Nations Global Survey: 1958 (Report) "Probation and Related Measures", p. 4-7

'प्रोबे न संस्था' की कार्य–विधि अति संक्षेप में इस प्रकार है :– ''न्यायाधी ।, अपराधी के पूरे विवरण, उसका जीवन, कार्य इत्यादि जानने के लिए प्रोबे न ऑफीसर से उस अपराधी के बारे में सामाजिक छानबीन की रिपोर्ट माँगता है। यह अधिकारी, अपराधी के प्रत्येक पक्ष की जाँच उससे

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

कारागार, न्यायालय या उसके घर पर मिलकर, और उसके माता–पिता, पड़ौसी, संगी–साथी, और यदि विवाहित हैं तो उसकी स्त्री व बच्चों से मिलकर; और यदि स्कूल में पढ़ा है तो स्कूल के अध्यापकों के पास जाकर और यदि कार्य कर रहा है, तो उसके मालिक के पास जाकर उसके चाल–चलन, रहन–सहन, आदतें तथा काम इत्यादि के बारे में मालूम करता है। पास–पड़ौस के खेल के साधन और बस्ती का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार यह अधिकारी ब्यौरेबार सब बातों को; उस व्यक्ति के पुनर्स्थापन में सहायक या बाधक हों; अपनी रिपोर्ट में लिखकर न्यायालय को प्रोबे न पर मुक्त करने के बारे में अपने सुझाव देते हुए पे । करता है। न्यायाधी । को अधिकार है कि वह सुझाव माने या न माने; किन्तु प्रायः यह सुझाव मान ही लिए जाते हैं, क्यों कि प्रोबे न ऑफीसर निश्पक्ष अपने सुझाव अध्ययन (Case Study) करके ही देता है। खेद का विशय है कि न्यायाधी । इस प्रकार की प्रारम्भिक जाँच की रिपोर्ट बहुत ही कम मुकदमों में माँगते हैं। प्रोबे न प्रणाली की सफलता के लिए रिपोर्टों का न्यायालय द्वारा माँगा जाना वाँच्छनीय है क्यों कि प्रारम्भिक जाँच के द्वारा ही ''प्रावे न अधिकारी'', अपराधी की आर्थिक, मानसिक आदि स्थितियों की जाँच करके इस निश्कर्श/निर्णय पर पहुँचता है कि अपराधी का प्रोबे न विधि द्वारा सुधार हो सकेगा, अथवा नहीं। अपराधी की सारी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और भारीरिक द ाओं का पूरा विवरण प्रोबे न अधिकारी अपनी सिफारि ों के साथ न्यायकर्ता/मजिस्ट्रेट के समक्ष रखता है।''

जिस अपराधी व्यक्ति को 'प्रोबे न' पर रिहा किया जाता है, परिबोक्षित (प्रोबे नर) कहलाता है जो प्रायः राबी (The Alcoholic), औशधि व्यसनी (The Narcotic Addict), मनोव्याधिकी (The Psychopathic), मानसिकहीन (Mentally Deficient), परम्परा विरोधी (Anti Traditional) तथा आकस्मिक भावुक, नाममात्र व अन्य (Casual, Emotional, Nominal etc.) होते हैं। साराँ तः प्रोबे न संस्था; न केवल अपराध–निरोध की एक व्यावहारिक प्रक्रिया है, बल्कि एक उदारवादी मानवीय सवा भी है। ोध–अध्येता ने इस संस्था के प्रति परिवीक्षितों (प्रोबे नर्स) के दृश्टिकोण जानने के लिए प्रस्तुत ीर्शक का चयन इस आ ाय से किया है कि तथ्यात्मक निश्कर्श निकाले जा सकें।

प्रस्तुत अध्ययन उ0प्र0 की फिरोजाबाद जिला जेल से 30 जून 2016 से 30 जून 2018 की 2 वर्शों की अवधि में प्रोबे न पर रिहा किए गए कुल 266 प्रोबे नर्स में से 'रेण्डम सेम्पिलिंग' की लॉटरी विधि से चुने गए कुल 200 प्रोबे नर्स के वैयक्तिक अध्ययनों से प्राप्त जानकारियों पर आधारित है।

साहित्य का पुनरावलोकन :

प्रो. सदरलेण्ड[1] (1960) ने लिखा है कि ''प्रोबे न संस्था का उद्दे य प्रोबे नर के दृश्टिकोण को परिवर्तित करना है''; **हैलन[2] (1969) के अनुसार** इस संस्था की सहायता से प्रोबे नर के सुधार के औचित्य को सिद्ध किया जाता है और प्रोबे नर के विचारों तथा द न को सुधार की

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

ओर एक नया मोड दिया जाता है ताकि उसमें परिवार व समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व निर्वहन की भावना का स्वतः विकास हो सके। इस संस्था से समाजीकृत न्याय की धारणा (The Concept of Socialized Justice) को बल मिलता है। **कुमार[3] (1994) के अनुसार** यह संस्था 'प्रथम अपराधी' को सामाजिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में रखकर चारित्रिक विकास तथा जीवन की दुर्व्यवस्थाओं से अनुकूलन करने का अच्छा अवसर प्रदान करती है; **लवानियां व जैन[4] (1995) का मानना है कि** (1) यह संस्था सामाजिक तथा सामुदायिक वातावरण में सुधार लाती है, (2) प्रोबे ानर को एक स्वस्थ्य वातावरण प्रदान कर परिजनों से सामंजस्य कराने की एक प्रमुख संस्था है जो प्रोबे ानर को सुधार का अवसर प्रदान कर चहुँमुखी विकास की ओर अग्रसर होने का अच्छा मौका देती है, (3) यह संस्था 'प्रथम अपराधी' को जेल जाने के कलंक तथा 'प्रदूशित जेल वातावरण' से बचाते हुए सुधार के विभिन्न अवसर प्रदान करती है कि वह पुनः कोई पाप, गुवाह, कलंक व समाज विरोधी कार्य न करे, (4) अन्ततः यह संस्था, सुधारवादी व्यवस्था तथा सुधार की विचारधारा की पोशक है। **महाजन एण्ड महाजन[5] (2014)** इस सन्दर्भ में लिखते हैं किः (1) यह संस्था 'प्रथम अपराधी' को सुधार करने का स ार्त अवसर प्रदान करती है जो दण्ड से बचने का एकमात्र उपाय है, (2) परोक्षतः यह पुलिस निरीक्षण की विधि है और उपचार की भी, (3) यह संस्था सुधार की सम्भावना वाले अपराधियों के प्रति कुछ नि ि चत ार्तों के आधार पर उदारता व सहानुभूति द ार्ाती है, शर्तानुसार आचरण सुधार न करने पर उसे न्यायालय द्वारा पूर्व निर्धारित दण्ड पुनः भुगतना होगा। निश्कर्शतः यह संस्था न्यायालयीन कुछ प्रतिबन्धों के साथ जेल की सजा का विकल्प व स्थानापन्न है।*****

*** To conclude, it overshadows all the rest, namely that the advantage of probation as an aid to crime prevention and to the rehabilitation of offenders for excees in importance its weakness and defects…… "It seems that society would be better protected against crime, if a large proportion of criminals and juvenile delinquents now committed to institutions were given probationary supervision. Probation needs integration in a completely co-ordinated programme of Delinquency Prevention and crime control".**

ोधार्थिनी द्वारा इस अनुभवजन्य समाज ाास्त्रीय अध्ययन के लिए 'निम्न उददे य' निर्धारित किए गए हैं–

(1) प्रोबे ानर्स की सामाजिक पृश्ठभूमि की जानकारी करना।

(2) प्रोबे ान संस्था के प्रति प्रोबे ानर्स के दृश्टिकोणों तथा तत्सम्बन्धित उत्तरदायी कारणों का अध्ययन करना।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(3) ोध–प्र नों (Research Questions) के द्वारा प्रोबे न संस्था क प्रति प्रोबे नर्स के अभिमत (दृश्टिकोण) जानकर निश्कर्श तथा सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध–प्राविधि (Research Technique) :

प्रस्तुत भोध–पत्र; प्राथमिक तथ्यों जिन्हें प्रोबे नर्स से उनके जीवन की कम से कम 2 प्रमुख घटनाओं को पूछते हुए उनके प्रत्यक्ष साक्षात्कारों तथा 'द्वितीयक तथ्य' न्यायालय–अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धित प्रोबे न अधिकारियों की जाँच आख्याओं से संकलित करके 'साँख्यकीय विधि' द्वारा तथ्यों के तालिकाकरण करके वि लेशण पद्धति द्वारा तथ्यपरक निश्कर्श स्थापित किए हैं। प्रोबे न संस्था के प्रति प्रोबे नर्स के दृश्टिकाणों का मूल्याँकन ''लिकर्ट मत मापक'' द्वारा किया गया है। 'वर्णनात्मक भोध प्रारूप' अपनाते हुए अनुभवाश्रित निश्कर्श एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। सम्बन्धित तथ्य–संकलन, वि लेशण एवं निर्वचन अग्रांकित हैं :–

तालिका नं. (1) : सूचनादाताओं की वैयक्तिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि का परिदृ य

1	धर्म	हिन्दू 104(52.00)	इस्लाम 94(47.00)	अन्य 02(01.00)	– 00(00.00)	समस्त 200(100.00)
2	जाति/वर्ग	सवर्ण 101(50.50)	अन्य पिछड़ा 35(17.50)	अनुसूचित 61(30.50)	अनु.जनजाति 03(01.50)	समस्त 200(100.00)
3	आयु वर्ग	12–16 वर्श (कि ोर पूर्व अपराधी) 24(12.00)	16–21 वर्श (कि ोर व युवक अपराधी) 16(32.00)	21–24 वर्श (युवापराधी) 38(19.00)	24+ वर्श (प्रौढ़ अपराधी) 06(03.00)	समस्त 200(100.00)
4	ि ाक्षा स्तर	अ ाक्षित 76(37.00)	स्कूल स्तर 108(54.00)	कॉलेज स्तर 18(09.00)	अन्य 00(00.00)	समस्त 200(100.00)
5	पारिवारिक पृश्ठभूमि	माता पिता के साथ रहने वाले 166(83.00)	संरक्षक के साथ रहने वाले 30(15.00)	गृहविहीन 03(01.50)	फुटपाथी 01(00.50)	समस्त 200(100.00)

प्रस्तुत तालिका अध्ययनार्थ चयनित सभी 200 प्रोबे नर्स की वैयक्तिक तथा पारिवारिक पृश्ठभूमि द ाती है। निम्न तालिका नं. (2) न्यायाधी ा द्वारा अपराधियों को प्रदत्त सजा/ दण्ड अवधि पर एवं प्रोबे न स्वीकृत करने का आधार पर संक्षिप्त प्रका ा द ाती है–

तालिका नं. (2) : न्यायाधीश द्वारा अपराधियों को प्रदत्त सजा/दण्डावधि

क्रम	सजा/दण्डावधि (महिनों में)	आवृत्तियाँ	प्रति्शत	वि्शेश/विवरण
1	12 माह से कम	8	04.00	• कठोर चेतावनी देकर प्रोबे न स्वीकृत कर परिजनों (संरक्षक) को सौंपे गए। • स र्त प्रोबे न* स्वीकृत (अधिकतम 2 वर्शों की अवधि तक)/प्रोबे न अधिकारी के निर्दे न में रिहाई की गयी
2	12–18 माह	113	56.50	
3	18–24 माह	79	39.50	
	समस्त	200	100.00	–

प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथा द्वितीयक तथ्य यह स्पश्ट करते हैं कि (1) प्रोबे न संस्था के अन्तर्गत प्रायः अधिकतम 24 माह/2 वर्श तक (वि िश्ट परिस्थिति में 3 वर्श) 'प्रोबे नर्स' को परीक्षण पर रखा जाता है, (2) प्रोबे न की भार्तें; जिन पर अपराधी की सजा निलम्बित करते हुए प्रोबे न

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अधिकारी की देखरेख व निर्दे ान में सुधार की सम्भावनाएं देखते हुए आवास–आदे ा हेतु रिहाई की जाती है (शर्तें फुटनोट में निर्दिश्ट है)

निम्न तालिका नं. (3) 'प्रोबे ान संस्था' के प्रति अध्ययनार्थ चयनित सभी 200 प्रोबे ानर्स के दृश्टिकोण/अभिमत द ार्ाती है–

तालिका नं. (3) : प्रोबेशन संस्था के प्रति प्रोबे□ानर्स के दृश्टिकोण

क्रम	प्रोबशन संस्था के प्रति प्रोबेशनर्स के दृश्टिकोण	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	पक्ष में	170	85.00
2	उदासीन	08	04.00
3	विपक्ष में	12	06.00
4	'कुछ नहीं कह सकते'	10	05.00
	समस्त	200	100.00

*** परिवीक्षा की भार्तें : (जिन पर सशर्त प्रोबेशन स्वीकृत की गयी)**

(1) प्रोबे□ान पर अपराधी को एक निश्चित अवधि के लिए मुक्त किया जाता है। न्यायालय इस अवधि को कम अथवा अधिक कर सकता है।

(2) इस नि□चित अवधि में प्रोबेशन अधिकारी की आज्ञा एवं निर्देशों का पालन करेगा।

(3) प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशों का पालन न करने पर उसे दुगुना दण्ड भुगतना होगा।

(4) प्रोबेशनर को एक बॉण्ड भरकर देना होगा।

(5) प्रोबेशनर को सुरक्षा धनराशि भी जमा करनी होगी जो उसे दण्ड स्वरूप सजा में सुनाया गया।

(6) प्रोबशनर; परिवीक्षा अधिकारी की आज्ञा के बिना अपना निवास स्थान नहीं छोड़ सकता, यात्रा नहीं कर सकता, और न विवाह कर सकता।

(7) प्रोबेशनर को निर्धारित समय पर घर पर ही मिलना होगा।

(8) उसे अपनी प्रगति का ब्यौरा दैनिक रूप से देना होगा।

(9) परिवीक्षा अवधि के दौरान वह नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में वह न तो हथियार रखेगा/चलायेगा और न ही वाहन (व्हीकल) चलायेगा।

(11) और अन्तिम; वह प्रोबेशन अधिकारी की बिना आज्ञा 'कुछ भी नहीं करेगा'।

प्रस्तुत तालिका नं. (3) उन सभी 200 सूचनादाताओं के प्रोबे ान संस्था के प्रति अभिमत स्पश्ट करती है जो 'प्रोबे ान' पर रहे हैं, सर्वेक्षणात्मक अध्ययन तथा व्यक्तिगत साक्षात्कारों से प्राप्त तथ्यों के अनुसार सर्वाधिक 85% प्रोबे ानर्स ने इस संस्था के क्रियान्वित रहने के पक्ष में दृश्टिकोण द ार्ाए हैं जबकि मात्र 6% ने विपक्ष में। वहीं 4% प्रोबे ानर्स ने इसके प्रति 'उदासीन' दृश्टिकोण द ार्ाए तथा

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

5% प्रोबे ानर्स ने प्रत्युत्तर में कहा कि वे इस सन्दर्भ में अभी 'कुछ नहीं कह सकते'। क्योंकि प्रोबे ान कुछ ही दिनों पूर्व स्वीकृत हुई है। 85% निदर्ि ात प्रोबे ानर्स; प्रोबे ान के इसलिए पक्ष में हैं क्योंकि वे पूर्णतः लाभान्वित होकर समुदाय में पुनः स्थापित हो सके हैं; और 6% विपक्ष में दृश्टिकोण द ार्शाने वाले वे प्रोबे ानर्स हैं जो प्रोबे ान पर 2 वर्शों तक रहने के प चात् भी पुर्नस्थापित होने में असमर्थ (विफल) रहे हैं। अर्थात् जिन्हें 'प्रोबे ान लाइसेन्स रद्द होने' के कारण पुनः जेल जाना पड़ा है। निश्कर्शतः 'प्रोबे ान संस्था' प्रथम अपराधियों (First Offenders) के लिए अत्यन्त श्रेश्ठ तथा हितकर है जो सतत् क्रियान्वित रहनी चाहिए। निम्न तालिका नं. (4) उक्त सन्दर्भ के लिए उत्तरदायी कारणों पर सभी 200 प्राबे ानर्स के विचारों पर प्रका ा डालती है–

तालिका नं. (4) : 'प्रोबे□ान संस्था' के प्रति दृश्टिकोणों के सापेक्ष उत्तरदायी कारण

क्रम	प्रोबेशन संस्था के प्रति प्रोबेशनर्स के दृश्टिकोण	आवृत्तियाँ	प्रतिशत	दृश्टिकोण सम्बन्धी उत्तरदायी कारण (प्रोबेशनर्स के अभिमतों के अनुसार)
1	पक्षधर	170	85.00	–प्रोबे ान के तहत लाभान्वित होने से अपने समुदाय में पुनर्स्थापित होने में सफल रहे तथा जेल जाने के कलंक से बच गए।
2	पक्षधर नहीं	12	06.00	–प्रोबे ान की अधिकतम अवधि में भी सफल न हो पाने के कारण 'लाइसेन्स रद्दीकरण' प्रक्रिया के प चात् जेल जाना पड़ा।
3	अन्य	18	09.00	–अधिकतम प्रोबे ान अवधि 2 वर्श में बमुि कल सफल हो सके। अभी भी 7 प्रोबे ानर्स प्रोबे ान पर हैं।
	समस्त	200	100.00	–

तालिका से स्पश्ट है कि विभिन्न दोशों के बावजूद भी 'प्रोबे ान संस्था' अध्ययन किए गए 85% मामलों में अपने मि ान में सफल रही है। यह अध्ययन तथा अनुभव बताते हैं कि जिन 200 प्रथम अपराधियों को प्रोबे ान भार्तों पर सजा निलम्बित कर परिवीक्षा अधिकारी के निर्दे ान में रिहा किया गया उनमें से मात्र 12(6%) प्रोबे ानर्स ने पुनः अपराध किए जिन्हें 'लाइसेन्स रद्दीकरण' की कार्यवाही के प चात् उन्हें हुई सजा की अवधि काटने के लिए जेल भेजा गया। निम्न भाोध–प्र नों के सम्बन्ध में भी प्रोबे ानर्स के (व्यक्तिगत साक्षात्कारों के समय) संस्था के प्रति दृश्टिकोण जाने गए; प्राप्त सम्बन्धित प्रत्युत्तरों/अभिमतों पर निम्न तालिका न. (5) संक्षिप्त प्रका ा डालती है–

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका नं.(5) : शोध प्रश्नों (Research/Key Questions) के सम्बन्ध में प्रोबेशनर्स के दृश्टिकोण

क्रम	शोध–प्रश्न (जो सभी प्रोबेशनर्स से) व्यक्तिगत तौर पर पूछे गए	प्रोबेशनर्स के अभिमत (आवृत्तियाँ /प्रतिशत)				समस्त (प्रतिशत)
		हाँ	*नहीं*	*उदासीन*	*कह नहीं सकते*	
1	क्या प्रोबे ान; 'प्रथम अपराधी' के प्रति दया व सहानुभूति द ार्शाकर उसे सुधारने की संस्था है?	132 (66.00)	8 (04.00)	50 (25.00)	10 (05.00)	200 (100.00)
2	क्या प्रोबे ान; अपराधी उपचार की एक सरल तथा सहज विधि है?	180 (90.00)	–	20 (10.00)	–	200 (100.00)
3	क्या प्रोब ान; न्यायालय द्वारा दण्ड सुनाने तथा अपराधी के जेल जाने के बीच की स्थिति है?	144 (72.00)	12 (06.00)	40 (20.00)	04 (02.00)	200 (100.00)
4	क्या प्रोबे ान की स्थिति अपराधी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाने के बाद आती है, दण्ड–निर्धारण से पहले नहीं?	200 (100.00)	–	–	–	200 (100.00)
5	क्या प्रोबे ान अधिकारी; अपराधी के व्यवहार को समझकर उसकी सामाजिक व मानसिक परिस्थितियों का अध्ययन व निर्दे ान करके उसे सुधारने का प्रयत्न करता है?	150 (75.00)	07 (03.50)	43 (21.50)	–	200 (100.00)
6	क्या प्रोबे ान विधि, अपराधी की सजा का स ार्त निलम्बन है?	187 (93.50)	–	–	13 (06.50)	200 (100.00)
7	क्या सजा से मुक्त होने के बदले प्रोबे ानर को अच्छे आचरण का आ वासन देना पड़ता है?	164 (82.00)	08 (04.00)	–	28 (14.00)	200 (100.00)
8	क्या प्रोबे ान पद्धति में प्राबे ानर को समुदाय में रहने की स ार्त अनुमति दी जाती है?	200 (100.00)	–	–	–	200 (100.00)
9	क्या प्रोबे ान अवधि में अपराधी को प्रोबे ान अधिकारी की देखरेख/ निर्दे ान में रखा जाता है?	186 (93.00)	04 (02.00)	10 (05.00)	–	200 (100.00)
10	क्या न्यायालय द्वारा प्रोबे ानर पर कुछ भार्तों का आरोपण यह द ार्शाता है कि वह अभी भी न्यायालय के अधीन तथा नियंत्रण में है?	132 (66.00)	–	30 (15.00)	38 (19.00)	200 (100.00)
11	क्या प्रोबे ान की अवधि में राज्य; प्रोबे ानर को हर सम्भव सहायता व निर्दे ा देने का प्रयास करता है?	200 (100.00)	–	–	–	200 (100.00)
12	क्या किसी भी प्रोबे ानर को अधिकतम 3 वर्शों तक ही प्रोबे ान प्रदान की जा सकती है?	126 (63.00)	18 (09.00)	22 (11.00)	34 (17.00)	200 (100.00)
13	क्या इस संस्था का मौलिक उद्दे य अपराधी को सुधार कर समुदाय में उसका पुनर्स्थापन करना है?	188 (94.00)	04 (02.00)	03 (01.50)	05 (02.50)	200 (100.00)
14	क्या प्रोबे ान का उद्दे य; प्रोबे ानर के दृश्टिकोण को परिवर्तित कर उसमें आत्म वि वास व स्वाभिमान जागृत करके अनु ाासन में रखकर अपराधी मनोवृत्तियों को सुधारना है?	186 (93.00)	02 (01.00)	07 (03.50)	14 (07.00)	200 (100.00)
15	क्या इस संस्था द्वारा 'प्रथम अपराधी' को	122	18	07	53	200

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

	आदती अपराधी बनने से रोका जाता है?	(61.00)	(09.00)	(03.50)	(26.50)	(100.00)

(Note : The figures shown in parentheses are percentage)

प्रस्तुत तालिका नं. (5) के प्राथमिक तथ्यों के वि लेशण के प्रका ा में स्पश्ट है कि 'प्रोबे ान संस्था' की भूमिका–निर्वहन के सम्बन्ध में सभी 200 प्रोबे ानर्स के प्रत्युत्तरों ''हाँ'' स्तम्भ की आवृत्तियाँ/प्रति ाताएं स्वीकारोक्तियाँ द ार्ाती हैं जो उच्च कोटि की हैं। भले ही प्रोबे ान संस्था में विभिन्न दोश (यथाः कु ाल प्रोबे ान अधिकारियों के अभाव में संस्था की सफलता संदिग्ध है, सामाजिक व व्यक्तिगत मूल्यों के ह्रास को रोकने की एक प्रक्रिया है, कई बार राजनैतिक कारणों (दबाव) के कारण भयंकर व आदती अपराधी भी प्रोबे ान पर छूट जात हैं, कई बार प्रोबे ानर्स के बारे में सही सूचनाएं न मिल पाने के अभाव में प्रोबे ान–प्रक्रिया में बाधाएं आती हैं, आदि) होते हुए भी प्रोबे ान संस्था 'प्रथम अपराधियों' के लिए वरदान एवं सुधार की एक संस्था है।

उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक बिहंगम दृश्टि में निश्कर्शतः कहा जा सकता है कि ''परिवीक्षा प्रणाली'' (प्रोबे ान संस्था) बाल अपराधियों; वि ोशतः प्रथम अपराधियों के सुधार/उपचार एवं पुनर्वासन के लिए एक श्रेश्ठ संस्था है, साथ ही सुधार की दि ाा में एक प्रतिवादी कदम। यह एक बेहतरीन मौका है जिसमें एक अपराधो अपने चरित्र को सुधार कर पारिवारिक–सामाजिक पुनर्वास करता है जिसके कारण अपराध तथा अपराधियों की संख्या में कमी के साथ–साथ राश्ट्रीय धन की बचत तथा समाज में उपयोगी व्यक्तियों की वृद्धि होती है एवं परिवार नश्ट होने से बच जाते हैं। भाोधार्थिनी की मान्यता ह कि इस संस्थान्तर्गत व्याप्त दोशों को दूर करने की दि ाा में प्रभावी पहल की वि ोश आव यकता है।

<u>प्रोबेशन की सफलता हेतु कतिपय सुझाव</u> :

'प्रोबे ान पद्धति' के सफल क्रियान्वयन एवं और अधिक प्रभावी बनाने सन्दर्भ में भाोध अध्येता की मान्यता है कि– (1) प्रोबे ान अधिकारियों के अधिकारों में और अधिक वृद्धि की जाय, (2) प्रोबे ानर के चयन में और अधिक निश्पक्षता बरतते हुए चयन प्रक्रिया को और अधिक पारद र्ाी तथा स्पश्ट बनाया जाय, (3) प्रोबे ान अधिकारियों को अपराधियों के उचित मार्ग निर्दे ान तथा देखरेख के प्रसंगों में समुचित प्र ाक्षण प्रदान किए जांय ताकि भात प्रति ात प्रथम अपराधी संस्था से लाभान्वित होकर परिवार तथा समुदाय में पुनर्स्थापित किए जा सकें, (4) प्रोबे ान अधिकारियों की सेवाओं को और अधिक आकर्शक बनाने के प्रयास किए जॉय; तथा (5) अपराधियों को प्राबे ान पर छोड़ने की प्रक्रिया में अधिकाधिक जन सहयोग लिया जाय; और अपराधी से कानूनी पाबन्दी हटाकर न्यायालय को ही इसका पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाय ताकि अपराधी के गुण–दोशों के परीक्षण आधार पर ही उसे 'प्रोबे ान' स्वीकृत करें एवं 'निगरानी व्यवस्था' के लिए टास्क फोर्स गठित कर 'औचक निरीक्षणों' की अतिरिक्त व्यवस्था भी सुनि चत की जाय।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

References :

Sutherland E.H. ; Principles of Criminology, The Times of India Press, Bombay, 1960 (Quoted from) American Journal of Sociology, Holt., Vol. 60, 1958, p. 37

Hellan G.C. ; Sociology of Deviant Behaviour, Meenakshi Prakashan (U.P.) Meerut, 1969, p. 107

Kumar Anand & Gupta M.D. ; Social Deviance, The Book of Criminology & Penology, Vimal Prakashan, Hospital Road (Fuara), Agra, 1995, p. 146

Lavania M.M. (et.al.) ; Criminology, Research Publication Tripolia Market (Raj.) Jaipur, 1995, p. 201-202

Mahajan D.V. & Mahajan K. ; Criminology : An Altrernative to Imprisonment as Probation, Vivek Prakashan, Jawahar Nagar, Delhi, 2014, p. 384-385

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies